Population Policy of India

जनसंख्या नीति

- जनसंख्या नीति किसी राष्ट्र द्वारा अपनायी गयी वह सरकारी नीति होती है जो जनंसख्या वृद्धि की गति, जनसंख्या की संरचना तथा वितरण आदि को नियंत्रित करने के उद्येश्य से बनायी जाती है। अर्थात् इसका तात्पर्य जनसंख्या समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले सभी संगठित प्रयासों से है।
- जनसंख्या के समुचित विकास के लिए।
- विभिन्न भौगोलिक तथा मानवीय परिस्थितियों में मानव के अनुकूल विकास के लिए अलग–अलग नीतियों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति –16 अप्रैल 1976

- पांचवी पंचवर्षीय योजना में–1974–79,
- प्रमुख विशेषताएं–
- विवाह आयु– लड़की 14 से 18, लड़का 18 से 21। कम आयु में विवाह–दंडनीय अपराध।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना।
- परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनान के लिए विदयालयी पाठ्यक्रम में जनसंख्या नीति सम्मिलित।
- केन्द्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा।
- नसबंदी (Vasectomy) कराने वाले स्त्री पुरूपों को प्रोत्साहन राशि। दो बच्चों के बाद–150, 3 के बाद 100, 4 के बाद 70 रूपये।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति –16 अप्रैल 1976

- परिवार कल्याण कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को 8 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता राशि। संतोषजनक कार्य न करने वाले राज्यों को कटौती।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनजीओ की सहायता लेना। इसमें खर्च करने पर कर में छुट देना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन आंदोलन **(Public movement)** बनाना। संचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार।
- राज्य सरकार चाहे तो नसबंदी कानून बना सकती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

- नवीं पंचवर्षीय योजना–1997–2002
- जनसंख्या नियत्रंण हेतु डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक दल का गठन। 1994 में रिपोर्ट।
- अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 फरवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति लागु की। यह एक श्रेष्ठ प्रस्ताव था जिसमें जन्म दर कम करने, शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य, स्त्रियों के व्यवसाय, साक्षरता सभी पर ध्यान देने की सिफारिश। अर्थात् जीवन में गुणात्मक सुधार आवश्यक हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रत्येक गांव में एक प्रसूतिगृह (Maternity hut) स्थापित करना।
- 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा (Free and compulsory education)।
- एनएसओ अनुपात 20 प्रतिशत से नीचे लाना।
- शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार तक लाना।
- मातृ मुत्यु दर प्रति एक लाख 100 से नीचे लाना।
- कुल प्रजनन दर 2 प्रतिशत तक लाना।
- जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भ का अनिवार्य पंजीकरण।

प्रमुख विशेषताएं

- एड्स एवं संक्रामक (Contagious) रोगों के उपचार (Treatment) की व्यवस्था एवं प्रचार को रोकना।
- गर्भनिरोधक विकल्पों में वृद्धि करना।
- शिशुओं, गर्भवती महिलाओं के लिए एलोपैथी के साथ आर्युवेदिक, होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग।
- जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन बनाना।
- 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व लाना।
- स्त्रियों के लिए रोजगार एवं अधिकारों की रक्षा करना।
- विवाह 18 व 21, कानून का कठोरता से पालन।
- गर्भपात एवं लिंग परीक्षण को अवैध मानना।